मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी - मार्च, 1992 सत्र

दैनिक कार्य - सूची

शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 1992 (फाल्गुन 9, 1913)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री रामानंद सिंह, सदस्य, सतना जिले के ग्राम मोहकमगढ में घटित डकैती व अपहरण की घटना की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री ललित जैन, प्रकाश जैन, सदस्य, सागर जिले के ग्राम गढ़ाकोटा स्थित जैन मंदिर से मूर्तियों की चोरी होने की घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री भागचन्द सोगानी, सभापति, विशेषाधिकार समिति का द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री रामानंद सिंह, सदस्य, जिला सतना के ग्राम खुटहा में जल प्रदाय योजना चालू करने,

(2) श्री उमराव सिंह, सदस्य, जिला खरगोन के तहसील बड़वानी के ग्राम सिलावद के पास गोई नदी पर पुल निर्माण कराने,

(3) श्री रामबहादुर सिंह, सदस्य -

(क) जिला गुना के ग्राम झारेड़ा से नस्ती खेड़ी तक कच्चा मार्ग व बीच के दो नालों में रपटा निर्माण कराने, तथा
(ख) जिला गुना के ग्राम चक ऊपरी से रेल्वे स्टेशन रोड तक कच्चा मार्ग तथा तीन छोटी पुलियां बनाने,

(4) श्री मगन लाल गोईल, सदस्य -

(क) जिला टीकमगढ़ के ग्राम अजनौर में पीने के पानी की व्यवस्था कराये जाने, तथा
(ख) जिला टीकमगढ़ के ग्राम अजनौर बड़ागांव में पुलिस चौकी खोले जाने,

(5) श्री रमेश दुबे, सदस्य -

(क) जिला छिन्दवाड़ा के ग्राम चौरई से हसनपुरा, करलई, सांख, कुम्पपानी मार्ग को पक्का किये जाने, तथा
(ख) जिला छिन्दवाड़ा के ग्राम समसवाड़ा से हरदुआ रैय, हरदुआमाल होते हुये मार्ग निर्माण कराये जाने,

(6) ठाकुर डाल सिंह, सदस्य -

(क) जिला सिवनी विकासखण्ड लखनादौन के ग्राम खमरिया में कन्या शाला खोले जाने,
(ख) जिला सिवनी, विकासखण्ड लखनादौन के ग्राम खमरिया गोसाई में पशु औषधालय का भवन निर्माण कराये जाने,
(ग) जिला सिवनी ग्राम सालीवाड़ा से भजिया, खमरिया गोसाई मार्ग पर गिट्टीकरण कराये जाने,
(घ) जिला सिवनी विकासखण्ड लखनादौन के ग्राम खमरिया गोसाई में नवीन माध्यमिक शाला भवन का निर्माण कराये जाने,
(ङ.) जिला सिवनी के ग्राम साजपानी (घनौरा) में पानी की टंकी का निर्माण कराने,
(च) जिला सिवनी विकासखण्ड लखनादौन के ग्राम खमरिया गोसाई में नल जल योजना प्रारंभ कराने,
(छ) जिला सिवनी के ग्राम लड़ैयाखेड़ा में सिंचाई बांध बनाये जाने,
(ज) जिला सिवनी के ग्राम पंचायत खमरिया, गोसाई में उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने,
(झ) जिला सिवनी के ग्राम सिहोरा से गोसाई, खमरिया मार्ग का डामरीकरण कराये जाने, तथा
(ञ) जिला सिवनी के ग्राम सुनवार गनेशगंज मार्ग पर 5 मध्यम पुलों का निर्माण कराये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

5. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का वक्तव्य

श्री कैलाश जोशी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, दिनांक 24 फरवरी, 1992 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्रमांक 1657) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

6. वर्ष 1992-93 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

निर्धारित समय		मांग	विवरण
2 घन्टे 30 मिनिट (शेष 1घन्टा 25 मि.)	(1)	मांग संख्या 23	जल संसाधन विभाग.
		मांग संख्या 57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.
		मांग संख्या 48	नर्मदा घाटी विकास.
		मांग संख्या 45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य.
		मांग संख्या 40	आयाकट विभाग से संबंधित व्यय.
		मांग संख्या 53	आयाकट विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.
1 घन्टा 30 मिनिट	(2)	मांग संख्या 6	वित्त विभाग से संबंधित व्यय.
		मांग संख्या 31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय.
		मांग संख्या 60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय.
		मांग संख्या 56	ग्रामोद्योग.
		मांग संख्या 71	सार्वजनिक उपक्रम.
2 घन्टे	(3)	मांग संख्या 13	कृषि
		मांग संख्या 52	कृषि विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.
		मांग संख्या 54	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा से संबंधित व्यय.
		मांग संख्या 5	जेल.

7. अशासकीय संकल्प

3.30 बजे से 30 मिनिट — (1) श्री चन्द्रशेखर साहू, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

" सदन का मत है कि केन्द्र के सार्वजनिक उपक्रमों तथा प्रदेश में लगने वाले सार्वजनिक, संयुक्त एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों में राज्य सरकार द्वारा कार्मिक प्रबंधक प्रति-नियुक्त किये जायें".

(2) श्री गौरी शंकर बिसेन, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

15 मिनिट — "सदन का मत है कि स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगारों को रू. एक लाख तक ऋण प्रदान किये जाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाय".

(3) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

15 मिनिट — "सदन का मत है कि केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाय कि समस्त युवकों को 21 वर्ष की आयु के उपरांत उचित भत्ते के साथ 3 वर्ष का सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य करे ".

विभूषेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपालः
दिनांकः 27 फरवरी, 1992